

नोट:- आदर्शकर्म



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विश्वदीप स्वि. बोकेणदी स्कूल, दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 05/10/2021 से 04/10/2024



Social
Studies



Social Interaction



Art



Language Arts



Music



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1104 / मासता / 2021

दुर्ग, दिनांक 19/03/2021

प्रति,

प्रमुख,

कॉन्सिलियर ऑफ पी. एंड. ई. एन.
बलारिवर चित्तूर दुर्ग

विषय: वि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोगिक के लिए, वि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मासता प्रमाण-पत्र।

सहोदय/सहोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 10/06/2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पञ्चातवर्ती पञ्चाचार/निरीक्षण के उपरान्त से 05/10/2021 से 01/10/2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए मासता प्रमाण-पत्र के लिए अंतिम मासता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत विनियमित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मासता की स्वीकृत किल्लारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पञ्चात् मासता/संयोजन करने के लिए कोई मासता निर्धारित नहीं है।
2. विद्यालय, वि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और वि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति तृतीया कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आल-थडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें वि.शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में भी इस मासता का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 63 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता/संरक्षक को किसी स्वीमिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
दो किसी भी बच्चे को आरंभिक बन्ध या मार्मिक उत्तीर्ण के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
तीस प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
पांच अधिनियम के उपबंधों 'क' के अनुसार वि.शुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

अध्यापकों की नवीन अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में निर्योजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यपुस्तक के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसूचिधार्प निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

10805.11 वर्ग मीटर

कुल निर्मित का क्षेत्रफल

4438.43 वर्ग मीटर

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

6366.28 वर्ग मीटर

कक्षाओं की संख्या

43 कक्षाएं, 01 हॉल

प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष

03

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक जौचालय

28 + 48

पेयजल सुविधा

कोरबन

मखान्द भोजन पकाने हेतु रसोई

-

बाधारहित पहुंच

है

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता:

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मासता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्तलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकव्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समपरीक्षा की जाती चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, विधियों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेख विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मासता कोड संख्यांक 101208/02.... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पञ्चाचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे विवेचो का पालन करेगा जो मासता संबंधी शर्तों सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जा

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग